	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 05, सोमवार, *शाके* 1944-दिसम्बर 26, 2022 *Pausa 05 Monday , Saka 1944- December 26, 2022*	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

वित्त (जीएण्डटी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 23, 2022

जी.एस.आर.349 .- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(8)/एफडी/ जीएफएण्डएआर/2011 दिनांक 01-10-2021 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः-

राज्यपाल के आदेश से,

मनीश माथूर,
संयुक्त शासन सचिव।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 01, 2021

राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम सं. 21) की धारा 55 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) **-**.इन नियमों का नाम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (तृतीय संशोधन) नियम 2021, है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 16 का संशोधन.- राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 16 के उप-नियम (1) के परन्तुक में,-

(i) विद्यमान अभिव्यक्ति "पांच लाख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "छह लाख" प्रतिस्थापित की जायेगी और;

(ii) विद्यमान अभिव्यक्ति "पचास लाख" के स्थान पर अभिव्यक्ति "साठ लाख" प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ.1(8)एफडी/जीएफएण्डएआर/2011]
राज्यपाल के आदेश से,

विमल कुमार गुप्ता,
संयुक्त शासन सचिव।

Government Central Press, Jaipur.